राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड

मदरसा बोर्ड भवन तृतीय तल, डॉ. राधाकृष्णन, शिक्षा संकुल, जे.एल.एन. मार्ग, जयपुर
फोन नम्बर 0141–2700201 (Email: rmfdcc_2000@yahoo.co.in)

क्रमांक एफ 4(16)/आरएमएफडीसीसी/सां./वा.का.योजना/2020–21/1631–64 दिनांक 11.7.22

जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी,
समस्त जिला।

विषयः–वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ऋण वितरण के लक्ष्य आंवटन बाबत।
सन्दर्भः–राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली का पत्र एल.ओ. आई. 506 दिनांक 20.06.2022
प्रसंगः– निगम के पत्रांक 472–504 दिनांक 17.05.2022.

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से पूर्व में वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु ऋण वितरण हेतु लक्ष्य प्राप्त नहीं होने के कारण प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपको राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एंवं वित्त निगम द्वारा प्रायोजित योजनाओं टर्म लोन, शिक्षा लोन के तहत वित्तीय वर्ष 2022–23 के प्रथम त्रैमास हेतु अन्तरिम लक्ष्य आवंटित किये गये थे। संदर्भित पत्र द्वारा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से निगम कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2022–23 के लिये प्राप्त आशय पत्र के आधार पर पूर्व में प्रथम तिमाही हेतु जारी लक्ष्यो को सम्मिलित करते हुए पत्र के साथ संलग्न **परिशिष्ठ 'अ'** के अनुसार आपके जिले के लिए वित्तीय वर्ष 2022–23 में ऋण वितरण हेतु अन्तरिम लक्ष्य का आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2021–22 तक जारी की गई वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों का जो भुगतान वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया गया है अथवा किया जाना प्रस्तावित है, वह राशि वित्तीय वर्ष 2022–23 में सम्मिलित होगी। आवेदन प्राप्त करने एवं ऋण वितरण हेतु निगम द्वारा समय–समय पर जारी अद्यतन दिशा निर्देशों के अनुरुप कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें एवं पात्रता सुनिश्चित करते हुए अल्पसंख्यक समुदाय के अधिक से अधिक व्यक्तियों को लाभान्वित किया जावें। यह लक्ष्य अन्तरिम है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम से वित्तीय वर्ष 2022–23 में ऋण वितरण हेतु प्राप्त लक्ष्यो के आधार पर आपके जिले को आवंटित लक्ष्यों में भी परिवर्तन किया जा सकता है।

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की स्वीकृति जारी करने हेतु पूर्व में जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में सलंग्न **परिशिष्ठ 'ब** में उल्लेखित दिशा–निर्देशों की पालना भी contd

आवश्यक रूप से सुनिश्चित की जावें। सभी जिलों को लक्ष्यों के अनुरुप वसूली भी करनी है। जिन जिलों की वसूली अपेक्षाकृत कम होगी के ऋण वितरण के लक्ष्यों को घटाया भी जा सकता है।

आप सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी प्रत्येक त्रैमास में एक जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक आहूत कर प्राप्त लक्ष्यों को त्रैमास आधार पर स्वीकृत/अभिशंषा करने की नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

07.7.22

(रेखा सामरिया)
प्रबन्ध निदेशक
आरएमएफडीसीसी, जयपुर

क्रमांक एफ 4(16)/आरएमएफडीसीसी/सां./वा.का.योजना/2020–21/1669-701 दिनांक 11.7.22
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, मंत्री महोदय, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, प्रथम तल, कोर–1, स्कोप मीनार, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली–110092।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक, अल्पसंख्यक मामलात विभाग, शिक्षा संकुल परिसर, मदरसा भवन, जयपुर।
5. जिला कलेक्टर ..... ।

प्रबन्धक (वित्त)
आरएमएफडीसीसी, जयपुर

परिशिष्ठ 'अ'

Rajasthan Minority Finance & Development Cooperative Corporation

District wise Physical & Financial Target for the Year 2021-22

S. No.	Name of District	Term Loan Targets		Term (Bussiness)		Term (Edu)		Micro	
		Nos	Amount	Phy	Fin.	Phy	Fin.	Phy	Fin.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	अजमेर	40	59.50	32	47.60	8	11.90	0	0
2	अलवर	17	25.50	14	20.40	3	5.10	0	0
3	बासवाड़ा	37	56.02	30	44.82	7	11.20	0	0
4	बारां	25	36.91	20	29.53	5	7.38	0	0
5	बाड़मेर	25	38.25	20	30.60	5	7.65	0	0
6	भरतपुर	17	25.50	14	20.40	3	5.10	0	0
7	भीलवाड़ा	35	52.90	28	42.32	7	10.58	0	0
8	बीकानेर	21	31.99	17	25.59	4	6.40	0	0
9	बूदीं	29	42.80	23	34.24	6	8.56	0	0
10	चितौड़गढ़	28	42.59	23	34.07	6	8.52	0	0
11	चुरु	40	60.15	32	48.12	8	12.03	0	0
12	दौसा	33	48.80	26	39.04	7	9.76	0	0
13	धौलपुर	14	20.51	11	16.41	3	4.10	0	0
14	डुगंरपुर	27	40.60	22	32.48	5	8.12	0	0
15	हनुमानगढ़	9	13.53	7	10.82	2	2.71	0	0
16	जयपुर	28	42.50	23	34.00	6	8.50	0	0
17	जैसलमेर	30	45.52	24	36.42	6	9.10	0	0
18	जालोर	15	22.00	12	17.60	3	4.40	0	0
19	झालावाड	19	28.71	15	22.97	4	5.74	0	0
20	झुन्झुनु	14	21.42	11	17.13	3	4.28	0	0
21	जोधपुर	30	44.70	24	35.76	6	8.94	0	0
22	करौली	20	30.60	16	24.48	4	6.12	0	0
23	कोटा	40	59.53	32	47.62	8	11.91	0	0
24	नागौर	28	42.50	23	34.00	6	8.50	0	0
25	पाली	14	20.51	11	16.41	3	4.10	0	0
26	प्रतापगढ़	26	38.55	21	30.84	5	7.71	0	0
27	राजसमंद	23	34.34	18	27.47	5	6.87	0	0
28	सवाई माधोपुर	25	38.25	20	30.60	5	7.65	0	0
29	सीकर	17	25.63	14	20.51	3	5.13	0	0
30	सिरोही	21	31.99	17	25.59	4	6.40	0	0
31	श्री गंगानग	22	32.86	18	26.29	4	6.57	0	0
32	टोंक	20	29.75	16	23.80	4	5.95	0	0
33	उदयपुर	41	61.10	33	48.88	8	12.22	0	0
	Total	831	1246.00	665	996.80	166	249.20	0	0

अल्पसंख्यक समुदाय को ऋण वितरण की स्वीकृति जारी करने हेतु दिशा निर्देशः–

1. किसी भी स्थिति में जिले को आवंटित बजट से अधिक राशि की स्वीकृति जारी नही की जावें।
2. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, द्वारा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर एवं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के स्तर से समय–समय पर पूर्व में जारी किए गए अद्यतन निर्देशों के अनुसार ऋण वितरण का कार्य सम्पन्न किया जावेगा।
3. निगम के सी श्रेणी (साधारण सदस्य) बनने के लिये निर्धारित प्रपत्र में प्रार्थना पत्र आवेदक की लेटेस्ट फोटो सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र के साथ रुपये 20/– प्रवेश शुल्क एवं कम से कम एक हिस्सा जो रुपये 100/– का है, क्रय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी को प्राप्ति रसीद जारी की जावे। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमाक 1024 दिनांक 19.07.2021 की पालना सुनिश्चित कीं जावें एवं वरियता रजिस्टर में इन्द्राज कर आवेदक को वरियता क्रम की पावती रसीद देना सुनिश्चित करे। पावती रसीद में आवश्यक दस्तावेज प्राप्त हो गये का उल्लेख करें।
4. प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/प्रोग्राम अधिकारी द्वारा क्षमता/दक्षता/पुनर्भुगतान की क्षमता की जांच की जाकर जांच रिपोर्ट प्रार्थना–पत्र पर अंकित की जायेगी।
5. वित्तीय वर्ष 2022–23 के टर्मलोन लक्ष्य में 20% राशि शिक्षा ऋण के लक्ष्य है। जिसमें 10% नवीन आवेदको का शिक्षा ऋण एवं 10% पुराने आवेदक का शिक्षा ऋण स्वीकृत किया जाये। यदि पुराने/चालू लोन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तो यह राशि टर्म लोन स्कीम में उपयोग में लाई जा सकती है।
6. सत्यापन रिपोर्ट के बाद आवेदन पत्रों की संवीक्षा कर साक्षात्कार की तिथि निर्धारित करने हेतु जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पत्रावली प्रस्तुत की जावें। प्रस्तुत पत्रावलियो का पहले आये, पहले पाये (FIFO) आधार पर वरीयता सुनिश्चित करे।
7. साक्षात्कार की तिथि निर्धारित होने के बाद सभी ऋण आवेदकों को साक्षात्कार की सूचना भिजवाई जावे। साक्षात्कार की तिथि का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।
8. जिला स्तरीय चयन समिति के समक्ष ऋण प्रकरणों की संवीक्षा एवं साक्षात्कार उपरान्त समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा राशि रू0 10.00 लाख तक की ऋण पत्रावलियों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति (निर्धारित लक्ष्यों एवं निगम द्वारा जारी दिशा–निर्देशों) के अनुरूप जारी कर प्रति निगम मुख्यालय को प्रेषित कराई जावे तथा राशि रू0 10.00 लाख से अधिक की ऋण पत्रावलियों को जिला स्तरीय चयन कमेटी की अनुशंषा के साथ निगम मुख्यालय पर स्वीकृति हेतु भिजवायी जावें। इस संबंध में परिपत्र दिनांक 27.07.2021 की पालना सुनिश्चित करें। ऋण राशि रूपये 10.00 लाख से अधिक की ऋण पत्रावलियों की राशि भी वित्तीय वर्ष के लक्ष्यों में शामिल होनी चाहिये।
9. नवीन गाईडलाईन के अनुसार ऋण स्वीकृति आदेश में केडिट लाईन–1 (ग्रामीण क्षेत्र हेतु राशि 98,000/– रू0 एवं शहरी क्षेत्र हेतु राशि 1,20,000/– रू0 वार्षिक आय) एवं केडिट लाईन–2 (वार्षिक आय राशि 8,00,000/– रू0 तक) का स्पष्ट उल्लेख करें।

लगातार

10. शिक्षा ऋण में प्रथम किस्त के अतिरिक्त अन्य किस्तों की मांग के साथ पिछले वर्ष उत्तीर्ण परीक्षा की अंकतालिका की प्रमाणित प्रति भिजवावें।
11. निगम द्वारा पत्र क्रंमाक 472–504 दिनांक 17.05.2022 के साथ सलंग्न प्रेषित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश के प्रारूप में टर्मलोन एवं शिक्षा ऋण हेतु पृथक्–पृथक् स्वीकृति जारी करें।
12. ऋणी के कैन्सिल्ड चैक में खाता संख्या, IFSC कोड, ऋणी का नाम, स्पष्ट होना चाहिये। सामान्यतया बैंक खाता राष्ट्रीयकृत बैंक का ही हो एवं मास्टर खाता व N.R.I. खाता नहीं हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जावें।
13. केडिट लाईन–1 व केडिट लाईन–2 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों की अलग–अलग छंटनी कर अलग–अलग प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश जारी करे। इसमें ऋण पर लागू ब्याज दर का विशेष ध्यान रखा जावें।
14. जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला स्तर पर प्राप्त ऋण आवेदन पत्रों की समीक्षा कर जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन उपरान्त पात्र आवेदकों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी कर, उसकी प्रति, मांग पत्र, बैंक से लिंक आधार कार्ड, कैन्सिल्ड चैक, जीवन बीमा पॉलिसी, (कुल स्वीकृत ऋण राशि के बराबर जिसमें जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, जिला..... .... (सम्बन्धित) को नोमिनी किया हुआ हो), NACH फॉर्म, पैन कार्ड, गारंटी दस्तावेज, ऋण वसूली हेतु चैक प्राप्ति सुनिश्चित कर NACH फॉर्म की एक मूल प्रति तथा शेष दस्तावेजो की प्रमाणित छायाप्रति निगम मुख्यालय को भिजवायेंगे। मांग पत्र में आवेदक से प्राप्त 5% मार्जिन मनी एवं 2% हिस्सा राशि (5+2= 7% तक) का उल्लेख भी करेंगे। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक ऋणी संकट राहत कोष को निगम के परिपत्र क्रंमाक 377 दिनांक 17.06.2021 के द्वारा जारी किया गया हैं। यह योजना वर्तमान में प्रचलित जीवन बीमा पॉलिसी का एक विकल्प है अतः आवेदक दोनो विकल्पों में एक विकल्प चुनने को स्वतंत्र होगा।
15. मांग पत्र में जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक कार्यवाही विवरण का कमांक एवं दिनांक, उसके कम में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश कमांक एवं दिनांक का भी उल्लेख करें।
16. टर्मलोन ऋण की मांग में 70% राशि की मांग की जा रही है या 30% राशि की मांग की जा रही है का स्पष्ट उल्लेख करें एवं साथ ही 30% राशि की मांग के साथ वांछित दस्तावेजात, भौतिक सत्यापन रिपोर्ट व ऋणी की व्यावसायिक परिसर सहित फोटो भी संलग्न करें, जिसमें व्यावसायिक परिसर पर ऋणी के नाम सहित "राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम तथा राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर द्वारा वित्त पोषित" का बोर्ड स्पष्ट रुप से प्रदर्शित होना आवश्यक है।
17. ऋण वितरण के साथ–साथ वसूली का विशेष प्रयास किया जावे। भविष्य में ऋण वितरण के लक्ष्य आपके जिले की ऋण वसूली की स्थिति के अनुसार होगें।
18. ऋण की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने के पश्चात् ऋणी से स्वीकृत ऋण राशि के 2 प्रतिशत के बराबर हिस्सा राशि लिया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही साथ लाभार्थी से मार्जिन मनी के रूप में स्वीकृत ऋण राशि के 5 प्रतिशत के बराबर मार्जिन मनी जमा की जाकर निगम मुख्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित किया जावें। किसी भी स्थिति में प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने एवं ऋणी द्वारा सभी वांछित दस्तावेजों की पूर्ति से पूर्व सदस्य से 2% हिस्सा राशि एवं 5% मार्जिन मनी वसूल नहीं की जावे।

लगातार

19. आपके जिले के विभिन्न अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन समुदायों की आबादी के अनुपात में लाभार्थियों के कवरेज करने का प्रयास करें।
20. लाभार्थियों को ऋण वितरित करने से पहले जागरुकता शिविर सह ऋण मेला आयोजित करना चाहिये। इस शिविर के दौरान लाभार्थियों को निधि, पुनर्भुगतान अनुसूची या ऋण चुकाने के तरीके आदि के निगम की योजनाओं एवं निधियों के उपयोगिता के बारे में जानकारी दी जाए। लाभार्थियों को स्पष्ट रुप से बताया जाना चाहिये कि यह ऋण है और समय पर चुकाना आवश्यक है।
21. ऋण स्वीकृत राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली के रिवाइज लैडिंग पॉलिसी के अनुसार किया जाये। इसकी सॉफ्ट प्रति एनएमडीएफसी की वेबसाइट www.nmdfc.org पर उपलब्ध है।
22. के.वाई.सी.मानदण्ड/आधार संख्या को पूरा करने के बाद ही ऋण स्वीकृत करे।
23. एनएमडीएफसी के ऋण वितरण नीति के अनुसार 70% राशि का उपयोग रुपये 05.00 लाख या कम के ऋणों, 05.00 लाख रुपये से अधिक व 10.00 लाख रुपये तक ऋण के लिए 20% राशि का उपयोग करें तथा 10% राशि का उपयोग 10.00 लाख रुपये से अधिक के लिए ऋणों में उपयोग में लिया जाना सुनिश्चित करें।
24. जिला स्तरीय चयन समिति को निगम के द्वारा जारी आर्थिक गतिविधियो व शिक्षा ऋण हेतु निर्धारित अधिकतम इकाई लागत के संबंध में अवगत करावें तथा ऋण स्वीकृति के समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा अधिकतम इकाई लागत के अनुरूप ही ऋण स्वीकृत किये जाये।
25. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली से प्राप्त दिशा निर्देशानुसार रुपये 25,000/– अथवा इससे अधिक राशि की मशीने/Equipment यदि ऋण की राशि से अर्जित की जाती है तो जीएसटी फर्म से कोटेशन प्राप्त कर प्रस्तुत करने होगें एवं कोटेशन दाता फर्म का पूर्ण बैंक विवरण भी प्रस्तुत करना होगा। राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, द्वारा राशि सीधे फर्म के खाते में स्थानान्तरित कर अल्पसंख्यक विकास अधिकारी को सूचित किया जायेगा। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ऋणी से यथासंभव सम्पत्ति का दृष्टिबंधक (Hypothecation) सम्बन्धित जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी के नाम से करवाया जाना सुनिश्चित करें एवं सम्पत्ति का बीमा भी करवाया जाना सुनिश्चित करें।
26. 5.00 लाख या उसके अधिक के ऋण दो किस्तों में 50–50% राशि में किया जावें।
27. ऋणी को वाहन के लिये ऋण स्वीकृति पर वाहन के क्रय के लिये सीधे आपूर्तिकर्ता फर्म को 100 प्रतिशत ऋण राशि का भुगतान किया जायेगा।
28. राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम, नई दिल्ली द्वारा जारी गाईड लाईन के अनुसार परिवहन क्षेत्र के प्रकरणों में निम्न निर्देशों की पालना की जावे:–
    i. The beneficiaries selected for Transport Sector activities should have a commercial driving license and required permit (If any) for the same.
    ii. For activities other than Auto-rickshaw, the beneficiary should have engaged himself in running a taxi on hire basis or on wage basis for a period not less than two years.

29. ऋण राशि से जो सम्पति क्रय की जायें उस पर बड़े अक्षरों में यह मैसेज लिखा जाये HYPOTHECATED TO RAJASTHAN MINORITY FINANCE & DEVELOPMENT COOPERATIVE CORPORATION LIMITED (SCA) PURCHASED FROM THE FUNDS PROVIDED BY NMDFC.
30. लाभार्थी का बैंक खाता हो व नहीं होने पर खोला जाये प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत आधार सीधे ही खाता से जुड़े।
31. प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) एवं अटल पेन्शन योजना (एपीवाई) के लिये लाभार्थी को प्रोत्साहित किया जाये।
32. निगम को देय भुगतान RAJASTHAN MINORITY FINANCE AND DEVELOPMENT CO-OP CORPORATION LIMITED, Branch- Raja Park, Jaipur के खाते में किया जाये/कराया जावे ।
33. प्रथम/द्वितीय/आगामी किश्त हेतु दस्तावेज पूर्ण, कर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा प्रमाणित/सत्यापित करके भेजें जावें।
34. ऋणी को अनिवार्य रुप से निगम का सदस्य बनाया जाकर ही निगम योजनाओं का लाभ दिया जाता है। निगम के सदस्य ऋणियों का विवरण निगम द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप संधारित करें एवं सूचना नियमित रुप से पूर्व के जारी निर्देशों के अनुसार मुख्यालय को प्रेषित करें।
35. रू0 10.00 लाख से अधिक के ऋण प्रकरण निगम कार्यालय को प्रेषित किये जाने से पूर्व जिला स्तरीय चयन समिति की बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर ऋणी को स्वीकृत किये जाने वाली ऋण राशि की जिला स्तरीय चयन समिति की स्पष्ट अभिशंषा के साथ ही प्रकरण राज्य स्तरीय चयन समिति के समक्ष रखे जाने हेतु निगम मुख्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

07.7.22

(रेखा सामरिया)
प्रबन्ध निदेशक,
आरएमएफडीसीसी,
जयपुर